अपील सूचना अधिकार संख्या 71/2021 (GCMS 2021/112)(आईटीआई पोर्टल नं. 212722428345886) श्री अमरिन्द्र भाटिया पुत्र अरविन्द भाटिया पता 211 मुखर्जी नगर, श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 97831-51511) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

22.08.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अमरिन्द्र भाटिया स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश कर, चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, किन्तु अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने उसे सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के विरूद्ध पेश की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.07.2021 के द्वारा अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. Please provide the address, e-mail, helpline nubmer of Public Land Protection Cell of Sri Ganganagar
2. Please provide the details of online portal if any, where the citizens can lodge complaints regarding illegal encroachments
3. Please provide information regarding how and where can citizens file complaint regarding illegal encroachments.
4. If Public Land Protection Cell is not formed, please provide the reasons for the same

पत्रावली के अवलोकन से यह पाया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई. /—/2021/869 दिनांक 18.08.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.16 10:46:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 07.06.2021 द्वारा चाही गई सूचना से सम्बन्धित कोई पत्र कार्यालय हाजा में प्राप्त होना नहीं पाया जाता है।

रिपोर्ट सूचनार्थ प्रेषित है।

-sd-
(भवानी सिंह पंवार)
लोक सूचना अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपने उक्त पत्र में उल्लेख किया है कि उनके पास अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 07.06.2021 कार्यालय हाजा में आना नहीं पाया जाता है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है, **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को** [illegible] **प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** [illegible] **अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी** [illegible] **तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते।** सू[illegible] का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.16 10:46:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है, इसलिए अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) द्वारा अपील का जो जवाब दिया गया है, वह सही है उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी यदि पुनः प्रार्थना पत्र पेश करे, तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधनानुसार सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील निस्तारित की जाती है आदेश की प्रति **अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.16 10:46:22 IST
Reason: SelfAttested